

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
23.5.17	<p>पन्नावली पेठा हुई। उच्चपुल (अभिमाधु (उपस्थित) विद्वान वकील (अपीलांत) ने एक प्रार्थना-पत्र इस (आराज्य का पेठा दिया है कि वो तरफ पश्चिम में (अपनी खालेदारी) की भूमि खसरा नम्बरान 379, 382, 383, 384, 387 तथा तरफ पूर्व में खसरा नम्बरान 390, 387, 388 हैं। उक्त खसरा नं. के बीच एक डोल (मेड) बनी हुई है, जो डोल की चौड़ाई 6 इंच चौड़ी है। (अपीलांत) अपनी स्वेच्छा से उक्त डोल के ग्रहण तरफ पूर्व में 5 फुट तथा तरफ पश्चिम में 5 फुट चौड़ा रास्ता शायमान धाट के लिए देने को तैयार है। अतः उपरोक्तानुसार (अपील) स्वीकार की जावे।</p> <p>हमने प्रार्थना-पत्र पर गौर किया। -आयहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर (अपील) (अपील) स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत का (अपील) (अपील) लाघीन (आदेश) दिनांक 01.02.2017 फिरस्त दिया जाता है। (अपील) (अपील) अधिकारी मुठ्ठावर को निर्देशित किया जाता है कि (आराज्य) खसरा नम्बरान 379, 382, 383, 384, 387 तरफ पश्चिम में से 5 फुट तथा खसरा नम्बर 390, 387, 388 तरफ पूर्व में से 5 फुट चौड़ा रास्ता इन नम्बरों के ग्रहण में जो मेड बनी हुई है, के दोनो ओर से शायम कर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शों में तरमीम की कार्यवाही करावे। पन्नावली प्रैसल शुभार होकर, नम्बर से इस की जाकर धाट तरमील जाहला करिबल वफ्तार की जावे।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर